उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2002-2003

प्राक्कथन

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2002-2003 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2002-2003 के अनुदान सं0 54, 55 तथा 58 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति बताई गई है।

प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण उनके ऊपर होने वाले व्यय के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को यथा सम्भव संबंधित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	प्रशासन	2
3	मार्ग विकास	3
	अ- मार्ग विकास नीति	4-5
	ब- राष्ट्रीय मार्ग	6-9
	स- महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं	10-16
4	भवन कार्य	17-18
5	बाह्य सहायता	19-20
6	अन्वेषणालय	21
7	कम्प्यूटरीकरण	22-26
8	प्रशिक्षण	27
9	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम	28-31
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	32-34
11	लो0नि0वि0 संगठन की संरचना(परिशिष्ट-अ)	35

भूमिका

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का मूलभूत उददेश्य :-

यह विभाग प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनः निर्माण व सुधार तथा उनका रख-रखाव करता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षरण का दायित्व भी इसी विभाग पर है। यह विभाग प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गो के अधिकतम भाग के रख रखाव के लिए भी उत्तरदायी है।

लो0नि0वि0 के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ, सहारनपुर
2	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3	आगरा	आगरा	आगरा
4	मध्य	लखनऊ	लखनऊ
5	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद, दैवीपाटन
7	झांसी	झांसी	झांसी, चित्रकूट धाम
8	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर
9	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती
10	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :- प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :- भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

प्रशासन

लो.नि.वि. में प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियन्ता का कार्यालय स्थापित है,जिसमें अभियन्ताओं के कार्यो का समन्वय, पर्यवेक्षण तथा नीति सम्बंधी मामलों का कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रमुख अभियन्ता की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता,भवन(स्तर-1),मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक(स्तर-1), मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग (स्तर-2),मुख्य अभियन्ता (डास्प एवं सोडिक स्तर-2), मुख्य अभियन्ता,मुख्यालय प्रथम व द्वितीय (स्तर-2), 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), मुख्य अभियन्ता, परिवाद,(स्तर-2),मुख्य अभियन्ता वि./या.(स्तर2), मुख्य वास्तुविद(मुख्य अभियन्ता,स्तर-2के समकक्ष) के पद सृजित हैं। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट-अ मे दर्शायी गयी है।

2- विभाग की इकाई खण्ड है। प्रत्येक जिलें में 1 से 4 खण्ड स्थापित है। खण्डो की संख्या, कार्य की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर होती है।

गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

खण्डो एवं वृत्तो के प्रकार	1999-2000		2000-01		2001-02	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	189	35	165	32	154	29
पर्वतीय क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	52	10	-	-	-	-
राष्ट्रीय मार्ग	28	05	25	05	27	05
ए0डी0बी0 परियोजना विद्युत /यांत्रिक / यू0पी0डी0ए0एस0पी0	55	09	39	08	50	12
योगः-	**324**	**59**	**229**	**45**	**231**	**46**
अनाधिशासी						
सर्वेक्षण,नियोजन परियोजना	29	05	18	05	17	05
अन्वेषण, विश्व बैक कार्य तकनीकी प्रकोष्ठ	15	0	02	-	02	-
योग	**44**	**05**	**20**	**05**	**19**	**05**

3- विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार हैः-(उत्तरांचल को छोड़कर)

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित	1287	526	1813
अवर अभियन्ता	4341	-	4341
मनचित्रकार व रेखाकार	913		913
नियमित कर्मचारी (समूह ग एवं घ)	31,555	-	31,555
कार्य प्रभारित कर्मचारी	-	16897	16897
दैनिक वेतन भोगी	-	7558	7558
योगः-	**38,096**	**24,981**	**63,077**

मार्ग विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने का दायित्व प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग का है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में उत्तरांचल राज्य सहित सड़कों की लम्बाई 15113 कि0मी0 थी जो यद्यपि उत्तरांचल को छोड़कर 31.3.2001 को 1,10,971 कि0मी0 हो गयी है परन्तु यह लम्बाई राष्ट्रीय औसत 292 कि0मी0 प्रति लाख जनसंख्या की तुलना में प्रदेश में 1991 की जनसंख्या के आधार पर सभी विभागों के मार्गो की लम्बाई को सम्मिलित करते हुए केवल 190 कि0मी0 प्रति लाख जनसंख्या है। इस औसत को बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

भारतीय सड़क काग्रेस द्वारा सन् 1985 में 20 वर्षीय (1981 से 2000) मार्ग विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना की रूप रेखा तैयार की गई थी जिसे 'लखनऊ प्लान' का नाम दिया गया। इसके सापेक्ष विभिन्न श्रेणियों के मार्गो सहित मार्च 2001 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत है।

उत्तर प्रदेश में मार्गों के प्रस्ताव एवं उपलब्धियों का सारांश

क0सं0	वर्गीकरण	लखनऊ प्लान के अनुसार 1981 से 2000 की मार्ग विकास योजना के लक्ष्य (कि0मी0 में)	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) 31.3.99 तक	31.3.00 तक	31.3.01 तक **
1	राष्ट्रीय मार्ग	5888	4232	4495	3793
2	राज्य मार्ग	35300	8702	9486	10006
3	प्रमुख जिला मार्ग	59310	8789	9831	7027
4	अन्य जिला मार्ग	0	27440	25351	90145
5	ग्रामीण मार्ग *	254662	72832	77580	
	योग	**355160**	**121995**	**126743**	**1,10,971**

* अन्य विभागों के मार्ग सम्मिलित नहीं हैं।

** उत्तरांचल राज्य की लम्बाई पूर्व में सम्मिलित थी, जो 2000-2001 की लम्बाई में सम्मिलित नही है।

मार्ग विकास नीति

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की मार्ग विकास नीति घोषित की जा चुकी है। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में सुचारू परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पाद के विपणन की सुचारू व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। मार्ग विकास नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाओं को मूर्तरूप दिया जायेगा।

(क) ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सन 2005 तक तथा शेष सभी गांवों को 2010 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है।

(ख) यातायात के निर्बाध गति से चलने के लिए गड्ढामुक्त मार्गों की नितान्त आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को गड्ढामुक्त रखने की सतत् प्रक्रिया को मार्ग नीति में विशेष बल दिया गया है।

(ग) प्रदेश के मार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिए मार्गों का सामयिक नवीनीकरण, व यातायात की आवश्यकतानुसार मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण आवश्यक है जिसके लिए वांछित संसाधनों में बढ़ोत्तरी के लिए "सड़क निधि" की स्थापना की गयी है। यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गों के श्रेणी उच्चीकरण की सतत् प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गयी है।

(घ) मार्गों के साथ-साथ वृहद सेतुओं के निर्माण एवं कमजोर व संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण भी यातायात के अबाध गति से चलने हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शहरों के यातायात के लिए फ्लाई ओवर्स का निर्माण भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेतुओं, उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कराया जायेगा।

(च) घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बाई पास, रिंग रोड व एक्सप्रेस वेज के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेंसीज के मध्य इक्विटी सहभागिता के आधार पर संबंधित योजनाओं को बी0ओ0टी0 पद्धति से निर्माण कराने की योजना है।

(छ) मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिकाधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करके निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।

(ज) विभाग के संसाधनों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को डबटेलिंग करके वित्तीय संसाधनों के आधार का विस्तार किया जायेगा।

(झ) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जायेगें जिसमें कम्प्यूटरीकरण एवं डाटा बैंक की स्थापना भी सम्मिलित है।

(ट) बेहतर वित्तीय प्रबन्धन, पारदर्शिता एवं त्वरित गति से वित्तीय स्वीकृतियों को जारी करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर लो0नि0वि0 मे आन्तरिक वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा तदनुसार नियुक्ति कर दी गई है।

(ठ) मार्ग निर्माण कार्य केवल लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा ही सम्पादित कराने का निर्णय लिया गया है।

(ड) मार्गों के अनुरक्षण का कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

राष्ट्रीय मार्ग-मार्च, 2002 की स्थिति

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में (उत्तरांचल राज्य को छोड़कर)28 राष्ट्रीय मार्ग हैं जिनकी लम्बाई 4860.00 कि0मी0 है, जिसका राष्ट्रीय राज मार्गवार विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	रा.मा. की संख्या	राष्ट्रीय मार्ग का नाम	रा0मा0की उत्तर प्रदेश में कुल लम्बाई (कि.मी.)	लो.नि.वि. के अधीन लम्बाई (कि.मी.)	भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अधीन लम्बाई (कि.मी.)
1	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी मोहनिया बाढ़ी पल्सित वैद्यावती-बारा-कोलकाता	756.000	0.000	756.000
2	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इन्दौर-धुले नासिक थाने-मुम्बई	28.886	6.00	22.886
3	7	वाराणसी-मंनगवॉ-रीवा-जबलपुर-लखनाडोन-नागपुर, हैदराबाद,कुरनौल-बंगलौर-कृष्णागिरी-सलेम-डिंडगुल, मदुरई-कैप कोमोरिन(कन्याकुमारी)	125.200	125.200	
4	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	42.360	42.360	
5	19	गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	127.400	127.400	
6	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	491.000	451.85	39.15
7	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	254.600	190.480	64.12
8	26	झांसी-ललितपुर -लखनादौन	131.695	131.695	
9	27	इलाहाबाद-मनगवॉ	45.627	45.627	
10	28	लखनऊ-फैजाबाद-बस्ती-गोरखपुर-गोपालगंज,मुजफ्फर-पुर,मोकामा के पास रा.मा.सं.-31 के जंक्शन तक	360.570	360.570	
11	29	वाराणसी - गाजीपुर-गोरखपुर	209.095	209.095	
12	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-वाराणसी	276.700	276.700	
13	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ मानापास	134.350	134.350	
14	73	रूड़की सहारनपुर- कालानूर- यमुनानगर साहा- पचकुला	48.890	48.890	
15	74	हरिद्वार नजीबाबाद अफजलगढ़ जहानाबाद पीलीभीतबरेली	180.000	180.000	
16	75	ग्वालियर -झांसी - छतरपुर - रीवा	17.145	17.145	
17	76	पिण्डवारा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-शिवपुरी-झांसी, इलाहाबाद	373.367	373.67	
18	86	कानपुर-छतरपुर-सागर	144.700	144.700	
19	87	रामपुर बिलासपुर पंतनगर हल्द्वानी नैनीताल	42.600	42.600	
20	91	गाजियाबाद -बुलन्दशहर-खुर्जा-अलीगढ़-एटा कन्नौज,कानपुर	408.400	408.400	

21	92	भोगांव-इटावा-ग्वालियर-मध्य प्रदेश बार्डर तक	73.400	73.400	-
22	93	आगरा-अलीगढ़-बबराला चन्दौसी मुरादाबाद	231.54	231.54	
23	96	अयोध्या (फैजाबाद) सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-इलाहाबाद	153.795	153.795	
24	97	गाजीपुर-जमानियाँ-सैयदराजा	56.20	56.20	
25	75 विस्तार	रीवाँ रेनुकूट-गरवां डाल्टनगंज रांची	91.278	91.278	
26	24A	लखनऊ-बाईपास (रिंग रोड)	10.794	10.794	
27	58A	दिल्ली-गाजियाबाद -वाया मोहननगर	11.30	11.30	
28	72A	छुटमलपुर मोहण्ड देहरादून	33.00	33.00	
		योगः-	**4859.89**	**3977.73**	**882.15**
			4860.00	**3978.00**	**882.00**

इसके अतिरिक्त निम्न नवघोषित राष्ट्रीय मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है:-

क्रम सं0	राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या	राष्ट्रीय राज मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश राज्यमें लगभग लम्बाई (कि0मी0 में)
1	2 ए	बारा-अकबरपुर-सिकन्दरपुर	59.00
2	56 ए	फैजाबाद मार्ग से लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग(लखनऊ रिंग रोड)	22.85
3	56 बी	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से लखनऊ कानपुर मार्ग (लखनऊ रिंग रोड)	

राष्ट्रीय मार्ग की महत्वपूर्ण योजनाएं

(अ) बाईपास

(क) पूर्ण

1- शाहजहाँपुर बाईपास 6 /01 में पूर्ण होकर यातायात हेतु खोला जा चुका है।

(ख)- निर्माणाधीनः-

1- फैजाबाद बाईपास मार्ग यातायात हेतु खोला जा चुका है। कुछ सुरक्षात्मक कार्य शेष है जिन्हे पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने के उपरान्त पूर्ण कराया जायेगा।

2- बस्ती बाईपास 9/2002 तक पूर्ण होकर यातायात के लिए उपलब्ध करा दिये जाने का लक्ष्य है।

3- ललितपुर बाईपास दिसम्बर 2002 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

4- हापुड़ बाईपास , एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन है जिसके 6/02 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

5- मुरादाबाद बाईपास, एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणाधीन है जिसके 6/02 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

6 क- रा0मा0-24 रा0मा0 - 24 से रा0मा0 28 जोड़ने वाला लखनऊ बाईपास रिंग रोड ।

6 ख- रा0मा0 - 28 को रा0मा0 -56 होते हुए रा0मा0 25 को जोड़ने वाले लखनऊ शहर के रिंग रोड का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

1- नहर सेवा मार्गों को पक्का करने की योजनाः-

प्रदेश में उपलब्ध नहर की पटरियों के माध्यम से यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से नहर की पटरियों को पक्का करके आस-पास के ग्रामों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्ष 1998-99 में 802 कि0मी0 लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा 55 जनपदों में 215 नहर पटरियों को रू0 6199 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। इन 215 कार्यों में से 18 कार्य नव- -सृजित उत्तरांचल राज्य में पड़ते हैं जिनकी लम्बाई 36 कि0मी0 व लागत 277 लाख है। उत्तरांचल राज्य के इन 18 कार्यों को छोड़कर प्रदेश में 03/2002 तक इस योजना में रू0 6213 लाख का व्यय कर 624 कि0मी0 सोलिंग, 709 कि0मी0 इन्टर तथा 756 कि0मी0 टाप एवं 753 कि0मी0 लेपन का कार्य करके 191 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 26 जनपदों में 136 नहर पटरियों के 280 कि0मी0 लम्बाई में रू0 2337 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। अन्य योजना मे स्वीकृत होने के कारण जनपद फतेहपुर में 1 कार्य, लम्बाई 2.5 कि0मी0 व लागत रू0 21 लाख है, का निर्माण नहीं किया जाना है। नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 3 कार्य, जिनकी लम्बाई 6 कि0मी0 व लागत रू0 41 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 3/ 2002 तक रू0 2285 लाख का व्यय करके 225 कि0मी0 सोंलिग , 252 कि0मी0 इन्टर, 248 कि0मी0 टाप तथा 234 कि.मी. लेपन का कार्य करके 114 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

वर्ष 2000-01 में यह योजना समाप्त की जा चुकी है।

2- ग्रामीण मार्ग/सेतु संबंधी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर0आई0डी0एफ0-2 (1996-97)

इस योजना के अन्तर्गत रू0 151.34 लाख की लागत से 961 मार्गो तथा रू0 12364 लाख की लागत से 80 सेतुओं हेतु कुल रू0 27498 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से क्रमशः रू0 14260 लाख मार्ग कार्यों तथा रू0 11238 लाख सेतु कार्यों हेतु कुल रू. 25498 लाख का ऋण वर्ष 1996-97 में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था।

इस योजना के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा निर्माणाधीन 820 मार्ग कार्यों में से माह 3/ 2002 तक 784 मार्ग कार्यों को रू0 12722 लाख तथा 72 सेतु कार्यों को रू0 12210 लाख का व्यय करके पूर्ण किया जा चुका है।

3- **पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर.आई.डी.एफ.3 (1997-98)**

ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिए उक्त योजना वर्ष 97-98 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना की लागत का 90 प्रतिशत भाग नाबार्ड से ऋण के रूप में तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य संसाधनों से वहन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत 1000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने हेतु 1206 कार्य, लम्बाई 1770 कि0मी0, लागत रू0 11236 लाख के लिए स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन 1146 मार्ग कार्यों में से नव सृजित उत्तरांचल राज्य के 22 कार्य जिनकी लागत रू0 97 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 3/2002 तक रू0 10520 लाख का व्यय कर 1120 मार्ग कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 4 कार्य भूमि विवाद के कारण अभी अपूर्ण है।

उक्त योजना में 25 सेतुओं का निर्माण कार्य लागत रू0 3011 लाख के लिए स्वीकृत है। निर्माणाधीन 24 सेतुओं में से माह 3/ 2002 तक रू0 3001 लाख का व्यय करके 22 सेतुओं का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

4- **पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर.आई.डी.एफ.4(1998-99):-**

इस योजना के अन्तर्गत रू0 22412 लाख की लागत से 1863 सम्पर्क मार्गों के 3588 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त है। इस योजना के अन्तर्गत लो0नि0वि0 द्वारा निर्माणाधीन 1747 मार्ग कार्यों मे से नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 14 कार्य जिनकी लागत रू0 167 लाख है, को छोड़कर प्रदेश में माह 3/ 2002 तक रू0 21041 लाख का व्यय कर 1366 मार्ग कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त योजना में रू0 11514 लाख की लागत से 90 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति भी प्राप्त है। इनमें से नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 1 सेतु, जिनकी लागत रू. 252 लाख है, एवं निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित 4 सेतु, लागत रू. 428 लाख को छोड़कर प्रदेश में निर्माणाधीन 85 सेतुओं में से माह 3/2002 तक रू0 8917 लाख का व्यय करके 61 सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

5- **पंडित दीन दयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर0आई0डी0एफ0-5 (1999-2000 एवं 2000-2001):-**

इस योजना के अन्तर्गत 989 सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु रू0 12804 लाख तथा 34 सेतुओं, लागत रू0 4820 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इस योजनान्तर्गत नवसृजित उत्तरांचल राज्य के 13 कार्य जिनकी लागत रू. 132 लाख है, भी स्वीकृत है। नवसृजित उत्तरांचल राज्य के कार्यों को छोड़कर प्रदेश मे माह 3/ 2002 तक रू0 11205 लाख का व्यय कर 678 मार्ग कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इस योजना में निर्माणाधीन 34 सेतुओं में से माह 3 /2002 तक रू. 2325 लाख व्यय कर 4 सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

6- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना आर.आई.डी.एफ.-6 व 7 (2001-02):-**

वर्ष 2001-02 में आर0आई0डी0एफ0-6 योजना में रू. 24053 लाख की लागत से 1468 मार्ग कार्यों की 3037.50 कि.मी. लम्बाई में निर्माण हेतु स्वीकृति माह अगस्त, 2001 में प्राप्त हुयी है तथा इन

कार्यों पर 3/02 तक रू. 5956 लाख की धनराशि आंवटित की जा चुकी हैं। इस योजनान्तर्गत 100 मार्ग अन्य योजनाओं में स्वीकृत होने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत माह 03 /02 तक रू. 4945 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

वर्ष 2001-02 में आर.आई.डी.एफ.- 7 योजना में रू. 18394 लाख की लागत से 1538 मार्गों की 1884 कि.मी. लम्बाई में निर्माण हेतु स्वीकृति हुयी है तथा इन कार्यो पर 3/02 तक रू. 3433 लाख की धनराशि आंवटित की जा चुकी है। इस योजना में स्वीकृत 1538 मार्ग कार्यों में से 135 कार्य अन्य योजनाओं में स्वीकृत होने के कारण निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 3/02 तक रू. 1904 लाख का व्यय किया जा चुका है। इसी योजना के अन्तर्गत 5 सेतु कार्य लागत रू. 1361 लाख की स्वीकृति भी प्राप्त है।

7. डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरीय मार्ग सुधार योजना -:-

प्रदेश के नगरीय मार्गों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण मार्गों की दशा अत्यंत खराब रहती थी, जिससे जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।

वर्ष 1997-98 में प्रदेश के 15 शहरों के लिए रू0 1128 लाख की लागत से 62 कि0मी0 लम्बाई के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से माह 3/ 2002 तक 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 1998-99 में 22 शहरों के लिए 88 कि0मी0 लम्बाई में रू0 1878 लाख के 34 कार्य स्वीकृत किये गये हैं 1 कार्य राष्ट्रीय मार्ग मे परिवर्तित होने के कारण निर्माणाधीन 33 कार्यों पर माह 3/ 2002 तक रू0 1842 लाख का व्यय कर 30 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 99-2000 में 4 शहरों के लिए 14 कि0मी0 लम्बाई में रू0 251 लाख के 4 कार्य स्वीकृत किये गये। इन कार्यों पर माह 03/ 2002 तक 254 लाख व्यय कर 2 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 2000-01 में इस योजना में 10 शहरों के लिए 34 कि0मी0 लम्बाई में रू0 910 लाख के 12 कार्य स्वीकृत किये गये है। 1 कार्य अन्य योजना से पूर्ण कर लिये जाने के कारण निर्माणाधीन 11 कार्यों पर माह 03 /02 तक रू. 715 लाख का व्यय कर 3 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 2001-02 में इस योजना में 2 शहरों में 3 कि.मी. लम्बाई में रू.123 लाख के 2 कार्य माह अक्टूबर व नवम्बर, 2001 में स्वीकृत किये गये थे तथा इन कार्यों पर रू. 21 लाख व्यय किया जा चुका है।

8. अम्बेडकर ग्राम विकास योजना (सम्पर्क मार्गों से संतृप्तिकरण)

अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास कार्यक्रम संचालित किये गये। परन्तु इन वर्गों की दशा में

पर्याप्त सुधार परिलक्षित न होने के कारण अनुसचित जाति/जन जाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग्रे को सीधा लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 में यह योजना प्रारम्भ की गई।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के प्रारम्भ अर्थात वर्ष 90-91 से 95-96 तक उन ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया जिसमें अनुसूचित जाति/जन जाति की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इस आधार पर चयनित ग्रामों के छोटे होने के कारण सृजित अवस्थापना सुविधाओं का लाभ कम जनसंख्या को मिल रहा था, जिस परिपेक्ष्य में वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में संशोधन किया गया तथा संशोधित मापदण्ड के अनुसार जनपद के सभी ग्राम 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति/ जन जाति की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले उन ग्रामों को चयनित किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी।इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1997-98 में यह नियर्ण लिया गया कि सभी विधान सभा क्षेत्रों मे एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में पुनः संशोधन किया जाये। इस निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को छोडते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रो से 10-10 ऐसे राजस्व ग्राम, जिनमें अनुसूचित जाति/जन जाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी, आबादी को अवरोही क्रम में व्यवस्थति करते हुए अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये है। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र (शहरी इलाकों को छोड़कर) से अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले 10-10 ग्रामों का चयन किया गया। किन्तु इस वर्ष अनुसूचित जाति/जन जाति की 30 प्रतिशत आबादी का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। इसके बाद के वर्षो में भी अम्बेडकर ग्रामों का चयन इसी आधार पर किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से दिनांक 31-3-2002 तक कुल 25568 ग्राम चयनित किये गये। इनमें से सम्पर्क मार्गो हेतु पुनर्चयनित ग्रामों को घटाने के पश्चात् कुल 25523 ग्राम अवशेष बचे। 1.4.2002 तक कुल 18340 ग्राम सम्पर्क मार्ग से जोड़े जा चुके हैं। शेष 7183 ग्रामों की सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के लिए रू0 1446 करोड़ की आवश्यकता है। इसमें से केवल 1797 ग्रामों हेतु स्वीकृति प्राप्त हैं जिन्हे वर्ष 2002-03 में सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इस हेतु रू0 161 करोड़ की आवश्यकता हैं। शेष 5386 ग्राम किसी भी योजना में अभी स्वीकृत नही है इनके निर्माण हेतु लगभग रू0 1285 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी।

9- <u>जिला योजना कार्य :-</u>

वर्ष 2001-02 में जिला योजना के अधिनीत कार्यो हेतु कोई बजट प्राविधान नही था। पुनर्विनियोग के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अधिनीत कार्यो हेतु रू. 2652 लाख तथा जिला योजना सामान्य के कार्यो हेतु रू. 3292 लाख का प्राविधान कर अधिनीत कार्यो हेतु आंवटन निर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त पुर्नविनियोग के माध्यम से रू. 1320.00 लाख प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष साख-सीमा प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण धनराशि रू. 1320.00 लाख समर्पित कर दी गयी । वित्तीय वर्ष 2001-02 में जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) में रू. 2710 लाख

तथा जिला योजना सामान्य में रू. 3210 लाख व्यय कर क्रमशः 435 तथा 531 कार्यों को पूर्ण किया गया ।

वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में जिला योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) में 5000 लाख तथा जिला योजना सामान्य में रू 5000 लाख प्राविधानित है ।

10- राज्य योजना(सामान्य):-

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में 1.4.97 के पूर्व के कार्यो हेतु मूल एवं अनुपूरक बजट के माध्यम से कुल रू0 5000 लाख प्राप्त हुआ था जिसके सापेक्ष साख-सीमा उपलब्ध न होने के कारण रू. 2203 लाख समर्पित करने के उपरान्त शुद्व आवंटन रू. 2797 लाख रहा ।

इस योजना के 1.4.97 के बाद के कार्यो हेतु मूल एवं अनुपूरक बजट तथा पुर्नविनियोग के माध्यम से कुल रू. 5174 लाख प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष पर्याप्त साख-सीमा प्राप्त न होने के कारण रू. 2448 लाख समर्पित करने के उपरान्त शुद्व आवंटन रू. 2725 लाख रहा ।

वित्तीय वर्ष 2001-02 में उक्त योजना में रू. 3490 लाख व्यय कर 94 कार्य पूर्ण किये गये है ।

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में रू. 5549 लाख लागत के नये कार्य स्वीकृत किये गये । वित्तीय वर्ष 2001-02 में नये कार्यो हेतु रू. 2272 लाख का आंवटन निर्गत किया गया, परन्तु साख-सीमा प्राप्त न होने के कारण रू. 1861 लाख समर्पित कर दिया गया ।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में 1.4.97 के पूर्व के कार्यो हेतु रू. 5000 लाख तथा 1.4.97 के बाद के कार्यो हेतु रू. 4835 लाख प्राविधानित है ।

11- विशेष विकास पैकेज:-

वर्ष 2001-02 मे विशेष एक मुश्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से बुन्देलखण्ड /पश्चिमांचल /मध्यांचल /पूर्वांचल पैकेज के अन्तर्गत की गयी एकमुश्त व्यवस्था रू. 5093.41 लाख के सापेक्ष पैकेजवार स्थिति निम्नवत् है:-

(अ) बुन्देलखण्ड विकास पैकेज:-

13 कार्यो हेतु रू. 1303.20 लाख की एकमुश्त बजट व्यवस्था के प्राविधान के सापेक्ष माह 03/02 तक 9 कार्यो पर शासन द्वारा कुल रू. 366.34 लाख के आंवटन में से साख-सीमा प्राप्त न होने के फलस्वरूप रू. 350.28 लाख समर्पित कर दिये जाने के पश्चात् शुद्व आंवटन रू. 16.06 लाख रहा । वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में रू. 700 लाख प्राविधानित है ।

(ब) पश्चिमांचल पैकेज:-

18 कार्यो हेतु रू. 1337.30 लाख की एकमुश्त बजट व्यवस्था के प्राविधान के सापेक्ष माह 03 /02 तक 10 कार्यो पर कुल रू. 553.33 लाख के आंवटन में से साख-सीमा प्राप्त न होने के फलस्वरूप रू. 504.32 लाख समर्पित कर दिये जाने के पश्चात् शुद्व आंवटन रू. 49.01 लाख रहा । वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में रू. 700 लाख प्राविधानित है ।

(स) **मध्यांचल पैकेजः-**

16 कार्यो हेतु रू. 1129.11 लाख की एकमुश्त बजट व्यवस्था के प्राविधान के सापेक्ष माह 03 /02 तक 15 कार्यो पर कुल रू. 131.16 लाख के आंवटन में से साख-सीमा प्राप्त न होने के फलस्वरूप रू. 104.00 लाख समर्पित कर दिये जाने के पश्चात् शुद्व आंवटन रू. 26.86 लाख रहा। वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में रू. 600 लाख प्राविधानित है।

(द) **पूर्वांचल विकास पैकेजः-**

39 कार्यो हेतु रू. 1323.80 लाख की एकमुश्त बजट व्यवस्था के प्राविधान के सापेक्ष माह 03/02 तक 24 कार्यो पर कुल रू. 630.72 लाख के आंवटन में से साख-सीमा प्राप्त न होने के फलस्वरूप रू. 525.00 लाख समर्पित कर दिये जाने के पश्चात् शुद्व आंवटन रू. 104.76 लाख रहा। वित्तीय वर्ष 2002-03 के आय-व्ययक में रू. 700 लाख प्राविधानित है।

विशेष विकास पैकेज के अन्तर्गत कोई भी साख सीमा निर्गत न किये जाने के कारण वर्ष 2001-02 में प्रगति नगण्य है।

12- मार्ग एवं सेतुओं का अनुरक्षणः-

प्रदेश की सडकों की मरम्मत करने और उन्हें गड्ढामुक्त करने की योजनाः-

राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अधीन की लम्बाई को छोड़कर वर्तमान में प्रदेश में लो0नि0वि0 के अधीन 1,11,100 कि.मी. का विशाल सड़क जाल है, जिसमें 3922 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, 10,006 कि0मी0 राज्य मार्ग व 7027 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग सम्मलित हैं। इन मार्गो का रख रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। यातायात घनत्व अधिक बढ़ जाने के कारण एवं संसाधनों की कमी के कारण इन मार्गो का समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा था। इससे जन-सामान्य भी काफी प्रभावित था एवं आवागमन में जन-सामान्य को काफी परेशानी हो रही थी। इस दृष्टिकोण से वर्तमान में मार्गो को गड्ढामुक्त करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सभी राष्ट्रीय मार्ग,राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को गड्ढामुक्त रखा जा रहा है एवं अधिक से अधिक नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसको एक सतत प्रकिया के रूप में लिया गया है। धनाभाव के कारण सभी ग्रामीण मार्गो तथा कम महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को इस अभियान में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2001-02 में सड़कों/सेतुओं के अनुरक्षण मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 113.00 करोड़ के अन्तर्गत राज्य मार्गो का नवीनीकरण, मार्गो को गड्ढा मुक्त किये जाने का कार्य, पान्टून पुल/फेरी का अनुरक्षण, रेलवे सम्पारों का अनुरक्षण, विशेष मरम्मत आदि के कार्य कराये जा रहे हैं। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 221 करोड़ के सापेक्ष रू. 168.8912 करोड़ की धनराशि से राज्य मार्गो के चौड़ीकरण का कार्य, ग्रामीण मार्गो का नवीनीकरण /सुधार का कार्य एवं प्रमुख जिला मार्गो/अन्य जिला मार्गो के नवीनीकरण एवं मार्गो पर विशेष मरम्मत का कार्य कराया गया है। इस वर्ष राज्य मार्गो/प्रमुख जिला मार्गो एवं अन्य जिला मार्गो को पी-2/एस.डी.सी. से नवीनीकरण हेतु अनुमोदित 7876 कि0मी0 के सापेक्ष माह 03/ 2002 तक 6754 कि0मी0 का नवीनीकरण किया जा चुका है।

13- मार्गों का उच्चीकरण :-

मार्गों की उपयोगिता जिला व यातायात घनत्व के आधार पर विभिन्न श्रेणी के मार्गों को उच्चीकृत करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 में प्रमुख जिला एवं अन्य जिला मार्गों को उच्चीकृत कर 2 नये राज्य-मार्ग घोषित किये गये है। अन्य जिला मार्गों को उच्चीकृत कंर 5 प्रमुख जिला मार्ग घोषित किये गये है।

14 केन्द्रीय मार्ग निधिः-

वर्ष 2000-2001 में रू. 6538 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह 03 /2002 तक रू. 3062.92 लाख का आवंटन दिया गया है। रू. 1977.75 लाख का व्यय कर कुल 57 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण पूर्ण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के अधिनीत कार्यो हेतु रू. 8050 लाख तथा नये कार्यो हेतु 1624 लाख प्राविधानित है।

15- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-

वित्तीय वर्ष 2000-2001 से भारत सरकार द्वारा " प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को वर्ष 2007 तक पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में रू. 642.71 करोड़ के कार्यो की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। यह योजना ग्राम विकास विभाग के अधीन है व प्रदेश के 14 जिलों में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा व 56 जिलों में लोक निर्माण विभाग (प्रोजेक्ट इम्प्लीमेन्टेशन यूनिट) द्वारा सम्पादित की जा रही है।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1. भवन विंग संगठनः-

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है।मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता 'भवन' (स्तर-एक) के अधिकारी तैनात है, जिनके अधीनस्थ भवनों की समीक्षा एवं परिकल्पना के लिए अधिकारी उपलब्ध है।

2- भवन कार्यों का विवरण

(अ) भवन निर्माण :-

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा- विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लो0नि0 विभाग की स्वयं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में होता है। वर्ष 2001-02 में विभाग के आय-व्ययक में भवन निर्माण कार्यो के लिए रू0 1880.58 लाख का प्राविधान है। विभिन्न विभागों के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि भी लो0नि0वि0 को डिपोजिट के रूप में कार्यो के सम्पादन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। विशेष रूप से दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत राजस्व विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में रू0 1500.00 लाख लागत से 211 अभिलेखागारों के निर्माण का कार्य सौपा गया था, जिनमें से 210 अभिलेखागारों का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है तथा शेष एक अभिलेखागार का निर्माण कार्य(रूड़की, उत्तरांचल में) प्रगति पर है।

(ब) भवन अनुरक्षणः-

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवन, राजभवन, माननीय उच्च न्यायालय, के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, विधान भवन तथा लो0नि0वि0 की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों के रख रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के लो0नि0वि0 के आय-व्ययक में अनावासीय भवनों के रखरखाव हेतु रू0 1475.65 लाख व आवासीय भवनों के रख रखाव हेतु रू0 778.34 लाख का प्राविधान है। राज्य सम्पत्ति विभाग के भवनों के रख-रखाव आदि के लिए इस वर्ष लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान किया गया है।लो0नि0 वि0 द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों का विभागवार विवरण निम्नवत् हैः-

लो0नि0वि0 द्वारा विभिन्न विभागों के निर्माणाधीन भवनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	यूनिटों की संख्या		
		अवशेष यूनिट		2000-2001 में पूर्ण करने का लक्ष्य
1	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	आवासीय अनावासीय योग	58 17 75	0 0 0
2	कारागार	आवासीय अनावासीय योग	0 9 9	0 0 0
3	(अ) राजस्व विभाग	आवासीय अनावासीय योग	245 175 420	5 2 7
	(ब) अभिलेखाकार	आवासीय अनावासीय योग	0 1 1	0 1 1
4	लो0नि0वि0 (पूल्ड आवास)	आवासीय अनावासीय योग	871 0 871	160 0 160
5	खेल कूद	आवासीय अनावासीय योग	0 23 23	0 0 0
6	शिक्षा विभाग (अ) बेसिक शिक्षा	आवासीय अनावासीय योग	3 7 10	0 0 0
	(ब) माध्यमिक शिक्षा	आवासीय अनावासीय योग	110 133 243	0 0 0
	(स) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	आवासीय अनावासीय योग	7 35 42	0 0 0
7	श्रम सेवा योजन (तकनीकी शिक्षा)	आवासीय अनावासीय योग	7 28 35	0 0 0
8	प्राविधिक शिक्षा	आवासीय अनावासीय योग	14 10 24	0 0 0
	सभी विभागों की यूनिटों का कुल योग	**आवासीय अनावासीय योग**	**1315 438 1753**	**165 3 168**

वाहय सहायतित कार्य (राष्ट्रीय मार्ग के कार्य को छोड़कर)

1 **एशियन डेवलपमेन्ट बैंक पोषित परियोजना** :-

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से 184.30 कि0मी0 लम्बे वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग के सुधार हेतु रू0 10866 लाख़ की योजना स्वीकृत है। परियोजना की वास्तविक लम्बाई 182.947 कि0मी0 है। अधिष्ठान रहित अनुमानित पुनरीक्षित लागत रू0 18967 लाख है।

मार्च, 2000 तक रू0 18733 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है व मार्ग को यातायात के लिए खोला जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रू0 200 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष रू. 15 लाख की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आंवटन निर्गत कर कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

2 **विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट -2:-**

प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गो तथा प्रमुख जिला मार्गो की 973 कि0मी0 लम्बाई के उच्चीकरण तथा 2574 कि0मी0 लम्बाई के रिहैबीलीटेशन के लिए, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से परियोजना का गठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कन्सलटिंग फर्म द्वारा सितम्बर, 1999 से किया जा रहा है तथा कार्य जून , 2002 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। परियोजना के अन्तर्गत कार्य निम्नानुसार दो चरणों में प्रस्तावित है:-

प्रथम चरण:- 374 कि0मी0 लम्बाई का उच्चीकरण तथा 808 कि0मी0 लम्बाई का रिहैबीलीटेशन कार्य।

द्वितीय चरण:- 599 कि0मी0 लम्बाई का उच्चीकरण जिसमें 20 कि0मी0 लम्बाई के 4 बाईपास भी सम्मिलित है, 1766 कि0मी0 लम्बाई का रिहैबीलीटेशन तथा 5 मिसिंग वृहद सेतुओं का निर्माण।

परियोजना की अनुमानित लागत रू0 2886 करोड़ है तथा कार्य अवधि 5 वर्ष है। परियोजना के सम्पादन हेतु विश्व बैंक से से 80 : 20 के आधार पर ऋण प्राप्त होगा अर्थात विश्व बैंक से लगभग रू. 2310 करोड़ धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त होगी तथा शेष लगभग रू. 576 करोड़ धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से उपलब्ध कराई जायेगी।

विश्व बैंक द्वारा परियोजना का अप्रेजल दिसम्बर, 2001 में किया जा चुका है तथा अक्टूबर /नवम्बर, 2002 में स्वीकृति प्राप्त होने की सम्भावना है।

परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत रिहैबीलीटेशन के कार्य रैट्रोएक्टिव फाईनैन्सिंग के माध्यम से मार्च, 2002 में शुरू कराये जा चुके है।

परियोजना पर मार्च, 2001 तक रू. 15.36 करोड़ व्यय हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में रू. 12.33 करोड़ व्यय हुआ है।

3- ऊसर भूमि सुधार येाजना एवं यू0पी0डी0ए0एस0पी0:-

" बाह्य सहायतित ऊसर भूमि सुधार येाजना" के अन्तर्गत 700 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्गो का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में वर्ष 2001-02 में 50 कि0मी0 एंव वर्ष 2002-03 में 230 कि0मी0 मार्ग पूर्ण किया जाना लक्षित है।

" **यू0पी0डी0ए0एस0पी0**" के अन्तर्गत 32 जनपदों में कुल 2600 कि0मी0 सम्पर्क मार्गो के निर्माण के प्रस्ताव के सापेक्ष वर्ष 2001-02 में 411 कि0मी0 एवं वर्ष 2002-03 में 500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के निर्माण लक्षित है।

उक्त दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन कृषि विभाग के अधीन लो.नि.वि. के 4 वृत्त व 18 खण्डों द्वारा डेडिकेटेड वृत्त /खण्ड के रूप में सम्पादित किया जा रहा है।

अन्वेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

1- अन्वेषणालय और रिसर्च डिवलपमेंट एण्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण स्थल की मिट्टी ,भवनों एवं मार्गो तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों के प्रयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण करना तथा उनकी संरचना की परिकल्पना करना है जो कि विभिन्न तकनीकी कमियों को दूर करने तथा नयी तकनीक के संचार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. वर्ष 2001-2002 मे 31.03.2002 तक सम्पन्न कार्य कलापों का विवरण निम्न प्रकार है :

अन्वेषणालय में माह 03/2002 तक कुल 688 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त मिट्टी की भार वाहन क्षमता के आंकलन हेतु 203 नमूनों का सी0बी0आर0 परीक्षण तथा 7 किमी. मार्ग का बैंकिलमैनबीम द्वारा परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 7 कि0मी0 मार्ग की सतह का रफनेस परीक्षण भी रफोमीटर से किया गया ।

3- रिसर्च डिवलपमेन्ट एवं गुणवत्ता सम्बर्धन प्रकोष्ठ में माह 03/2002 तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में कुल 385, क्षेत्रीय प्रयोगशाला गढ़वाल में 69 एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में 107 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 561 नमूनो का परीक्षण किया गया, जिसमें 340 विभागीय नमूने भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कुल 253 कि0मी0 मार्गो के लिए मिट्टी की भार वाहन क्षमता, सी0वी0आर0 तथा बैंकिलमैनबीम परीक्षणों से विभिन्न प्रयोगशालाओं में निकाली गयी। जनपदों में स्थापित प्रयोगशालाओं में 2854 गुणवत्ता परीक्षण सम्पन्न किये गये।

4- वर्ष -2002-2003 में 1500 नमूने परीक्षित करने का लक्ष्य है तथा जनपदीय प्रयोगशालाओं में अधिक से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण लगभग 4000 नमूनों को परीक्षित करने का लक्ष्य है।

5 फाउण्डेशन इन्वेस्टीगेशन खण्ड द्वारा भवन / रपटे के निर्माण हेतु 66 मीटर बोरिंग करके भूमि परीक्षण किये गये।

कम्प्यूटरीकरण

वर्ष 1997-98 में अनुभव किया गया कि वर्तमान समय में लोक निर्माण विभाग, जो कि प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, के मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग की कार्य प्रणाली में कम्प्यूटर एवं कम्यूनिकेशन टेक्नोलाजी का इस्तेमाल किया जाये। विकास कार्यो हेतु विभाग में खण्डीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) केन्द्र बिन्दु माना गया है अतः शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि लोक निर्मोण विभाग में खण्ड स्तर से लखनऊ स्थित मुख्यालय स्तर तक के सभी कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया जाये जिससे कि नवीनतम विकास कार्यों के आंकड़े एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप विकास परियोजनाओं की रूपरेखा अल्प समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ प्राप्त हो सके। तदनुसार उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या- 572 /23-9-98 ए0सी0 /97 दिनांक 31 मार्च, 1998 द्वारा विभाग के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना पर रू. 350.70 लाख धनराशि की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का विवरण मदवार निम्न प्रकार है:-

1- कम्प्यूटरीकरण के लिए लखनऊ मुख्यालय पर आवश्यक भवन निर्माण कार्य विद्युतीकरण सहित।	**रू. 70.10 लाख**
2- सिस्टम साफ्टवेयर (विन्डोस एन0टी0 तथा एम0एस0 आफिस 97)	**रू. 46.02 लाख**
3- हार्डवेयर एवं कम्यूनिकेशन इक्यूपमेन्ट्स आदि का क्रय।	**रू. 218.58 लाख**
4- फर्नीचर, एयरकन्डीशनर, कूलर एवं टेलीफोन सिस्टम आदि पर व्यय	**रू. 16.00 लाख**
योगः-	**रू. 350.70 लाख**

कम्प्यूटरीकरण की परियोजना पर तकनीकी दृष्टिकोण एवं नियोजित रूप से कार्य प्रारम्भ करने से पहले उपयुक्त समझा गया कि विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए आवश्यक पैरामीटर्स अर्थात कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के लिए कम्प्यूटर क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक स्टडी कराना लाभप्रद होगा और स्टडी के बाद ही परियोजना का क्रियान्वयन नियोजित ढंग से संभव हो सकेगा। स्टडी के बाद ही विभाग के विभिन्न कार्यकलापों को आवश्यक माड्यूल्स में विभाजित किया जा सकेगा। तद्नुसार शासन की अनुमति से (शासनादेश संख्या- 06 /23-9-99-92 ए.सी. /97, दिनांक 10 फरवरी, 1999) स्टडी का कार्य मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम एंव कम्प्यूटर क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ प्रतिष्ठान) को रू. 4.40 लाख धनराशि की लागत पर फरवरी, 1999 में सौंपा गया।

स्टडी प्रारम्भ करने से पहले मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा लोक निर्माण विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर कार्यरत उच्च अधिकारियों से विभाग की कार्यप्रणाली एवं विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया

गया। विचार विमर्श के बाद मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड द्वारा विभाग के विभिन्न कार्यकलापों को निम्नानुसार 11 माड्यूल्स में बॉटा गया है:-

1. प्लानिंग
2. बजटिंग
3. आर्कीटेक्चर
4. एक्जीक्यूशन
5. मानीटरिंग
6. एकाउन्टस
7. परसनल
8. कम्पलेन्ट्स एन्ड ग्रीवेन्सेज
9. कोर्ट केसेज एण्ड लिटीगेशन्स
10. इलैक्ट्रीकल एण्ड मैकनिकल
11. ब्रिजेज

विस्तृत स्टडी की अवधि में मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड के विशेषज्ञों द्वारा उपरोक्त सभी एक्टीवीटीज का विस्तृत अध्ययन सम्बन्धित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके किया गया तथा ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गयी। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर डैमों के माध्यम से सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.99 को विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा विचार विमर्श में लिए गये निर्णयों के अनुसार अन्तिम स्टडी रिपोर्ट मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड द्वारा 20 अक्टूबर 1999 को उपलब्ध करा दी गयी।

मैसर्स सी0एम0सी0 लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट के आधार पर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य को निम्नानुसार तीन चरणों में सम्पादित कराने की कार्य योजना विभाग द्वारा बनायी गई:-

प्रथम चरण:

प्रथम चरण के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के सभी जनपद/तहसील स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा विश्व बैंक परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को लखनऊ स्थित प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव,लोक निर्माण विभाग की शाखा से जोड़ना।

द्वितीय चरण:

द्वितीय चरण में मैदानी क्षेत्र के शेष कार्यकारी खण्डों (राष्ट्रीय मार्ग खण्डों सहित) को क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं तथा मुख्यालय से जोड़ा जाना।

तृतीय चरण:

तृतीय चरण के अन्तर्गत सभी अधीक्षण अभियन्ता एवं पर्वतीय क्षेत्र के सभी अधिकारियों को मुख्यालय से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। तृतीय चरण के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग को मुख्य

विकास अधिकारियों, जिला अधिकारियों एवं मण्डलायुक्त कार्यालयों से भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटरीकरण की कार्य योजना को कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित कम्प्यूटर ग्रुप के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। कम्प्यूटर ग्रुप ने शासनादेश संख्या 1703 /78- आई0टी0-2000, दिनाक 30.10.2000 द्वारा लोक निर्माण विभाग के प्रथम चरण में कम्प्यूटरीकृत किये जाने वाले प्रस्ताव पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की है:-

1- प्रथम चरण की कम्प्यूटरीकरण योजना के लिए प्रस्तावित कम्प्यूटर संयत्रों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों तथा सिस्टम साफ्टवेयर का क्रय एवं चिन्हित साफ्टवेयर माड्यूल्स के विकास एवं क्रियान्वयन के कार्य हेतु खुली निविदायें आंमत्रित करके फर्म का चयन किया जाये जो कि टर्न- की-बेसिस पर सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करें।

2- कम्प्यूटर सर्वर्स के सुचारू ढंग से संचालन के लिए विन्डों एयर कंडीशनर के क्रय हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है।

3- उक्त क्रय ग्राम्य विकास की तरह प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता मे निम्न तीन समितियों का गठन करकें किया जाये:-

(अ) **<u>क्रय समिति</u>** - उक्त समिति तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन कर फर्म का चयन करेगी।

(ब) **<u>उप समिति (प्रथम)</u>** - यह उपसमिति क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर संयंत्रों अन्य उपकरणों तथा सिस्टम साफ्टवेयर का तकनीकी स्पेसीफिकेशन निर्धारित करेगी।

(स) **<u>उप समिति (द्वितीय)</u>** - उक्त उप समिति निविदा की शर्तों को निर्धारित करेंगी।

4- निविदायें जमा करने से पूर्व वेन्डर्स के साथ प्रि-बिड कान्फ्रैन्स किया जाये।

5- यूपीडेस्को लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रय किये जाने वाले संयत्रों तथा साफ्टवेयर के तकनीकी स्पेसीफिकेशन, निविदा की शर्तों को निर्धारित कराने , टेन्डर डाक्यूमेन्ट तथा विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्तों को तैयार कराने में तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। यूपीडेस्को द्वारा संयंत्रों की आपूर्ति से पूर्व उनके परीक्षण करने में तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जायेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए यूपीडेस्को को कुल क्रय की 0.5 प्रतिशत धनराशि अथवा न्यूनतम रू. 5.00 लाख की धनराशि सेवा शुल्क के रूप में भुगतान की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा यूपीडेस्को को संयंत्रों के परीक्षण (पी0डी0आई0) कराने में होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भी की जायेगी।

6- उक्त कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु आई0आई0टी0, कानपुर के विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त कराने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष रू0 1.5 लाख का परामर्श शुल्क के भुगतान पर भी सहमति प्रदान कर दी गयी ।

7- कम्प्यूटरों का बेहतर ढंग से संचालन एंव उपयोग रिक्त पदों को भरने के बजाय लोक निर्माण विभाग के प्रत्येक कार्यालय के एक अथवा दो कर्मचारियों का चयन कर कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिला कर किया जाये।

8- हैण्ड्स आन ट्रेनिंग एवं विकसित कराये जाने वाले साफ्टवेयर माड्यूल्स का उपयोग करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण चयनित फर्म से कराया जाये।

कम्प्यूटर ग्रुप द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या 4403 /23-9-2000-92 ए0सी0 /97 , दिनांक 17.11.2000 द्वारा निम्नानुसार तीन समितियॉं, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता मे गठित की गई:-

1- **क्रय समितिः-** इस समिति को तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन कर फर्म के चयन का अधिकार दिया गया।

2- **विशिष्टयॉं निर्धारण समितिः-**इस समिति को क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर संयत्रों एवं उपकरणों तथा सिस्टम साफ्टवेयर के तकनीकी स्पेसिफिकेशनस निर्धारित करने का अधिकार दिया गया।

3- **टेन्डर डाक्यूमेन्ट अनुमोदन समितिः-** इस समिति को निविदाओं की शर्तो को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

उपरोक्त क्रमांक 2 तथा 3 पर अंकित समितियों द्वारा दिनांक 29.11.2000 एवं 06.12.2000 की बैठकों में कम्प्यूरीकरण के कार्य के लिए विशिष्टयॉं एंव टेन्डर डाक्यूमेन्ट का अनुमोदन कर दिया गया। इन समितियों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण के अन्तर्गत फिलहाल लखनऊ, आगरा तथा वाराणसी क्षेत्रों में ही कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जाये। प्रमुख अभियन्ता एवं शासन स्तर पर प्राविधान यथावत् रखा जाये। एप्लीकेशन साफ्टवेयर के विकसित हो जाने पर प्रथम चरण के शेष कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा। एप्लीकेशन साफ्टवेयर विकसित हो जाने के बाद केवल हार्डवेयर क्रय करना ही शेष बचेगा।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में प्रयुक्त होने वाले सिस्टम साफ्टवेयर की आपूर्ति मैसर्स यू.पी.डेस्को के माध्यम से ली जायेगी, तदनुसार सिस्टम साफ्टवेयर की आपूर्ति ली जा रही है। क्योकि यूपीडेस्को एवं माइक्रोसाफ्ट का एम.ओ.यू. हो चुका है और ये सिस्टम काफी सस्ती दरो पर प्राप्त हो जायेगें। तदनुसार सिस्टम साफ्टवेयर की आपूर्ति ली जा रही है।

टेन्डर डाक्यूमेन्ट तथा विशिष्टियां निर्धारित किये जाने के बाद प्रथम चरण के कार्य (आंशिक) के लिए निविदायें आंमत्रित की गई और शासन द्वारा नियुक्त क्रय समिति द्वारा मैसर्स टी0सी0एस0, लखनऊ की निविदा पर स्वीकृति प्रदान की गयी। तथा

माह 7 /2001 को अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस अनुबन्ध के अनुसार कार्य सम्पादन के मुख्यतः निम्न स्टोन निर्धारित किये गये थे।

एस0आर0एस0 डाक्यूमेन्ट पर स्वीकृति प्रदान की जानी	15.11.2001
एप्लीकेशन साफ्टवेयर का डिजाईन तथा डेवलपमेन्ट	04.04.2002
एप्लीकेशन साफ्टवेरयर का एक्सेप्टेन्स	03.06.2002
एप्लीकेशन साफ्टवेरयर का बीटा टेस्टिंग	03.05.2002
फाइनल एप्लीकेशन साफ्टवेयर का सबमिशन	18.05.2002
एप्लीकेशन साफ्टवेरयर का फाइनल एक्सेप्टेन्स	03.06.2002

कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

नवीनतम तकनीकी विकास की दृष्टि से विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता एंव उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। भविष्य में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को भर्ती के समय ही आधार भूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना है। इन प्रशिक्षणों से अधिकारियो/ कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्पयूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यो का सम्पादन कर सकेगें।

मुख्य रूप से निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है ।

1- प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान , कालागढ़ में नव नियुक्त सहायक अभियंताओं द्वारा आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जाता है ।

2- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान , दिल्ली मे कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियो कों प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

3- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान , लखनऊ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रशिक्षण लिया जाता है ।

4- राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर, लखनऊ द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशासकीय प्रशिक्षणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

5- प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण लिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय सड़क कॉग्रेस, इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट आदि संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशनों में कनिष्ठ एंव वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। विभिन्न संस्थानों के द्वारा आयोजित अल्प अवधि के प्रशिक्षणों / सेमिनारों में भी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी । सेतु निगम ने अपने कार्यकलाप प्रदेश एवं देश मे ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

2.वर्ष 2000.01, 2001.02, 2002.03 में निगम द्वारा निम्नानुसार कार्य किये गये/प्रस्तावित हैं:-

धनराशि:- रू. करोड़ में

क्र.स.		2000-2001			2001-2002			2002-2003		
		निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल
1	लक्षित कार्यभार	130	145	275	135	150	285	108	165	273
	प्राप्त कार्यभार	102	160	262	106.4 (03/2002 तक)	116	222.4			
2	लक्षित कार्यो की सख्या	68	18	86	64	10	74	71	11	82
	प्राप्त कार्यो की संख्या	56	03	59	65 (03/2002 तक)	14	79			

3- सेतु निगम द्वारा वर्ष 2001-02 में 64 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 135.00 करोड़ व्यय करने के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2002 तक 65 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 106.40 करोड़ का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है।

(लागत करोड़ रु० मे)

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2001-02 का निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्यों के सापेक्ष 03/ 02 तक उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय
1	नाबार्ड 2	2	5.00	0	0.04
2	नाबार्ड.3	2	2.50	1	0.57
3	नाबार्ड.4	30	31.00	34	39.32
4	नाबार्ड--5	10	16.00	5	15.88
5	नाबार्ड--7	0	0	0	0.43
6	आयोजनागत	6	15.00	6	13.80
7	डाकूग्रस्त उन्मूलन योजना निधि	0	6.50	0	2.46
8	रेलवे सुरक्षा निधि	4	16.00	3	12.23
9	अन्य निक्षेप	8	13.00	14	18.25
	योग	**62**	**105.00**	**63**	**102.98**
10	उत्तरांचल	1	2.00	1	0.68
11	बी0ओ0टी0	1	28.00	1	2.74
	योग	**64**	**135.00**	**65**	**106.40**
12	निविदा	10	150.00	14	116.00
	महायोग	**74**	**285.00**	**79**	**222.40**

4 वर्ष 2002-2003 में सेतु निगम द्वारा 71 निक्षेप कार्यों को पूर्ण करने एवं 108.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 11 निविदा कार्यों को पूर्ण करते हुये 165.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है जिनका योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं :-

(लागत करोड़ रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	वर्ष 2002-2003 के लिये निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यों की संख्या	कार्यों पर व्यय
1	नाबार्ड-2	2	5.00
2	नाबार्ड-3	2	4.00
3	नाबार्ड-4	25	18.00
4	नाबार्ड-5	15	20.00
5	नाबार्ड-7	1	3.00
6	आयोजनागत	10	20.00
7	डाकूग्रस्त उन्नमूलन योजना निधि	0	5.00
8	रेलवे सुरक्षा निधि	5	25.00
9	बी.ओ०टी०	0	0.00
10	अन्य निक्षेप	10	6.00
	योग	**70**	**106.00**
11	उत्तरांचल विकास निधि	1	2.00
	योग	**71**	**108.00**
12	निविदा कार्य	11	165.00
	महायोग	**82**	**273.00**

5- **रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुः-** वर्तमान में 7 रेल उपरिगामी /अधोगामी सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निम्न रेलवे उपरिगामी सेतुओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है:-

1 इलाहाबाद-झांसी-इलाहाबाद-मिर्जापुर मार्ग पर सिरसा मण्डी पर रेलवे उपरिगामी सेतु रू. 6.44 करोड़

2 कानपुर-कानपुर जी०टी० रोड पर रेलवे सम्पार संख्या 79 डी पर उपरिगामी सेतु रू. 8.50 करोड़

3 देवरिया-देवरिया-कसिया मार्ग पर पू०रे० के सम्पार संख्या 129 ए पर उपरिगामी सेतु रू. 9.84 करोड़

6- **<u>बाहय स्रोतों से वित्तीय संसाधन</u> :-** नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.- 2 के 80 सेतुओं की लागत रू. 139.04 करोड़ एवं आर.आई.डी.एफ.- 3 के 25 सेतुओं की लागत रू. 30.70 करोड़ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 105 सेतुओं में से 4 सेतुओं को वित्तीय वर्ष 2002-03 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

नाबार्ड-4 (आर०आई०डी०एफ०-4) के अन्तर्गत 85 सेतुओं का निर्माण किया जाना है जिनकी लागत रू. 107.90 करोड़ है। 1 सेतु उत्तरांचल में है जो पूर्ण कर लिया गया है। कुल 61 सेतुओं को 3 /2002 तक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष सेतु प्रगति में है तथा कुल 33 पहुँच मार्गों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष प्रगति में है।

नाबार्ड-5 (आर0आई0डी0एफ0-5) के अन्तर्गत 39 सेतुओं को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुमोदित किया गया है। 34 सेतुओं की वित्तीय स्वीकृति रू. 48.20 करोड़ की धनराशि निर्गत हो चुकी है, जिसमें कुल 3/02 तक 6 सेतुओं एवं 1 पहुँच मार्ग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । शेष कार्य प्रगति में है।

नाबार्ड-7(आर.आई.डी.एफ.-7) के अन्तर्गत 95 सेतुओं के प्रस्ताव रू. 222 करोड़ के प्रेषित किये गये हैं जिसमें 38 सेतुओं का अनुमोदन नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है। जिसमें से 5 सेतु की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। जिसमें से 1 सेतु का कार्य प्रगति में है।

7- **निविदा कार्यः-**

सेतु निगम द्वारा उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में खुली निविदाओं के आधार पर निम्न कार्य प्रगति पर हैः-

क्रम सं0	विवरण	कार्यों की संख्या	कार्यों का मूल्य (करोड़ रू0 में)
1	उ0प्र0 में निविदा कार्य	7	115.00
2	अन्य प्रदेशों में निविदा कार्य	11	270.00
	योग	**18**	**385.00**
	वर्ष 2001-2002 में पूर्ण करने का लक्ष्य	14	116.00
	वर्ष 2002-2003 में पूर्ण करने का लक्ष्य	11	165.00

वर्तमान में 18 निविदा कार्य प्रगति में है। जिनकी कुल लागत रू. 385 करोड़ है। इसमें से वर्ष 2002-03 में रू. 165.00 करोड़ कार्यभार के सापेक्ष 11 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा के अन्तर्गत 4 नये कार्यों को वर्ष 2001-02 में प्राप्त किया गया है जो निम्न हैः-

1- रेलवे विभाग से लखनऊ-गोमतीनगर सेतु : रू. 7.51 करोड़
2- फतेहपुर में आर0ओ0बी0 रेलवे भाग : रू. 1.25 करोड़
3- ओगोल (आन्ध्रप्रदेश) में सेतुओं का निर्माण : रू. 40.80 करोड़
4- राँची में सेतु निर्माण कार्य : रू. 7.05 करोड़

कुल रू. 56.61 करोड़

निम्न कार्यों की निविदा में भी सेतु निगम की दरें न्यूनतम हैः-

1- फगवाड़ा पंजाब में आर.ओ.बी. का कार्य : रू. 16.13 करोड़
2- गुजरात में सेतुओं का रिहैबिलिटेशन कार्य : रू. 15.00 करोड़
3- इलाहाबाद में सड़क निर्माण कार्य : रू. 4.00 करोड़
4- वोट जेटी प्रोजेक्ट, पटना : रू. 18.00 करोड़
5- काला ढोंगी सेतु नैनीताल : रू. 1.45 करोड़
6- नागपुर में 2 रेलवे सेतु : रू. 18.00 करोड

कुल रू. 72.58 करोड़

8- **<u>बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यः-</u>** उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी मार्ग विकास नीति की घोषणा वर्ष 1998 में की गयी थी। सेतु निगम को बी0ओ0टी0 स्कीम के

अन्तर्गत मार्ग एंव सेतु के निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। सेतु निगम द्वारा जनपद सोनभद्र में सोन नदी पर एक सेतु का निर्माण बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत 01.01.2002 को समय से पूर्ण कर यातायात के लिए खोल दिया गया है एवं टौल की वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है।

9- **<u>लाभ/ हानि की स्थिति:-</u>** सेतु निगम द्वारा वर्ष 99-2000 में रू. 370 लाख का लाभ अर्जित किया गया है। वर्ष 2000-01 में रू. 235 लाख का लाभ अनुमानित है। वर्ष 2000-01 तक के लेखे पूर्ण हो चुके है। वर्ष 2000-01 तक निगम का संचित लाभ रू. 1441.87 लाख है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०,लखनऊ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। उस समय इस निगम का प्रदत्त अंशदान मात्र 5 लाख रू0 था, जो कि वर्ष 1977 में बढ़ाकर 100 लाख रू0 कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी 500 लाख रूपये है।

1- निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्यः-

प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण, बैराज,डैम्स, एक्वाडक्ट, पुल, कल्वर्टस, रोपवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्सटालेशन्स,औद्योगिक परियोजनायें (तापीय विद्युत गृहों,कताईमिल,चीनी मिल,प्रासेस फैक्ट्री आदि) का कार्य तथा नगर एवं गॉवों के विकास के कार्यो में माध्यमिक स्कूल,डिग्री कालेज,विश्वविद्यालय,चिकित्सालय आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

उपरोक्त के अलावा निगम राज्य सरकार की सड़कों,भवनों के अनुरक्षण आदि का कार्य भी कर सकता है, ताकि आधुनिक प्रबन्धकीय प्रणाली से इनका निर्माण/ अनुरक्षण हो सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यो में मितव्ययता,गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

इसी क्रम में, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित वेतन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना एवं तकनीकी योग्यता धारक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2- निगम की कार्य प्रणालीः-

निगम द्वारा समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते है जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय जहॉ तक सम्भव है, सीधे निर्माताओं या अधिकृत वितरकों से किया जाता है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों(पी0आर0डब्लू0) के माध्यम से किये जाते है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, तथा पश्चिमी बंगाल में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

3- संगठनात्मक ढॉचाः-

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इसे 8 कार्यकारी अँचलों में विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 69 कार्यकारी इकाईयॉ कार्यरत हैं। मुख्यालय पर तकनीकी व वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग , परिकल्पना विंग, कम्पनी सचिव विंग, वित्त एवं लेखा विंग, वाणिज्य विंग, संविदा विंग एवं कार्मिक विंग स्थापित किये गये है। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिनमें से यॉत्रिक व विद्युत विंग द्वारा परिकल्पना एवं समन्वय कार्यो के साथ-साथ निर्माण इकाईयों के कार्यो पर सीधे नियन्त्रण भी किया जा रहा है।

4- उपलब्धियां:

विगत पॉच वर्षो में निर्माण निगम द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति एवं किये गये कार्यो के टर्न-ओवर की उपलब्धि निम्न प्रकार रही:-

वर्ष	लक्ष्य लाख रू0 में	उपलब्धि लाख रू0 में
1996-97	25000	19220
1997-98	25000	22938
1998-99	27000	23197
1999-2000	30000	19292
2000-2001	31000	20123

5 वित्तीय वर्ष 2001-2002 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण:-

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में निर्माण निगम द्वारा रू0 26000 लाख के कार्य सम्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध रू0 20629 लाख के कार्य मार्च , 2002 तक कराये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(i) निक्षेप कार्य

निक्षेप कार्य के अन्तर्गत शासन के विभिन्न विभागों /संस्थाओं के 938 कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2001 -02 में रू0 16000 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध रू0 17953 लाख का कार्य मार्च , 2002 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

(ii) निविदा कार्य

खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा एवं निगोशियेशन के आधार पर प्राप्त 101 निविदा कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2001-02 में रू0 10000 लाख लक्ष्य के विरूद्ध रू0 2676 लाख का कार्य मार्च , 2002 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

क्रम सं.	कार्य का प्रकार	सक्रिय कार्यों की संख्या	वर्ष का लक्ष्य लाख रू0 में	वित्तीय वर्ष 2001-2002 का टर्न ओवर लाख रू0 में	टिप्पणी
1	निक्षेप कार्य	938	16000	17953	उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में कार्य किये जा रहे हैं।
2	निविदा कार्य	101	10000	2676	उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश एंव पश्चिम बंगाल में कार्य किया जा रहा है।
	कुल योग	**1039**	**26000**	**20629**	

6- वित्तीय वर्ष 2001-02 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरणः-

वित्तीय वर्ष 2001-02 में रू0 30000 लाख के कार्य अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्व मार्च , 2002 तक लगभग रू0 29524 लाख के कार्य अर्जित किये गये हैं ।

7- वित्तीय वर्ष 2002-03 का लक्ष्यः-

वित्तीय वर्ष 2002-03 हेतु रू. 26000 लाख के कार्य सम्पादित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें रू. 20,000 लाख का लक्ष्य निक्षेप कार्यो हेतु तथा रू. 6000 लाख का लक्ष्य निविदा कार्यो हेतु निर्धारित है।

8 लेखों की स्थिति

अ. निगम के वर्ष 99-2000 तक के लेखे वार्षिक सामान्य सभा में अंतिम हो चुके हैं। वर्ष 2000-01 के लेखों को निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जा चुका है।

ब. लाभ/हानि की स्थितिः-

वर्ष 1999-00 में रू0 28.86 लाख का लाभ हुआ तथा वर्ष 2000-01 में रू0 50.92 लाख का लाभ हुआ है। निगम का कुल संचित लाभ रू0 990.93 लाख है।

9. लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट, स्टील, केबिल, फिटिंग आदि की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, जिससे सीमेन्ट तथा स्टील के क्रय में बचत हुई है।

10. गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से कार्य-स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है।

11 कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा /अनुश्रवण किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, व्यवस्थापन हेतु महाप्रबन्धक (मुख्यालय) विंग को प्रथम चरण में कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा द्वितीय चरण में अंचलीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन 2001-2002 (उत्तरांचल के गठन के बाद दिनांक 01.01.2002 की स्थिति)

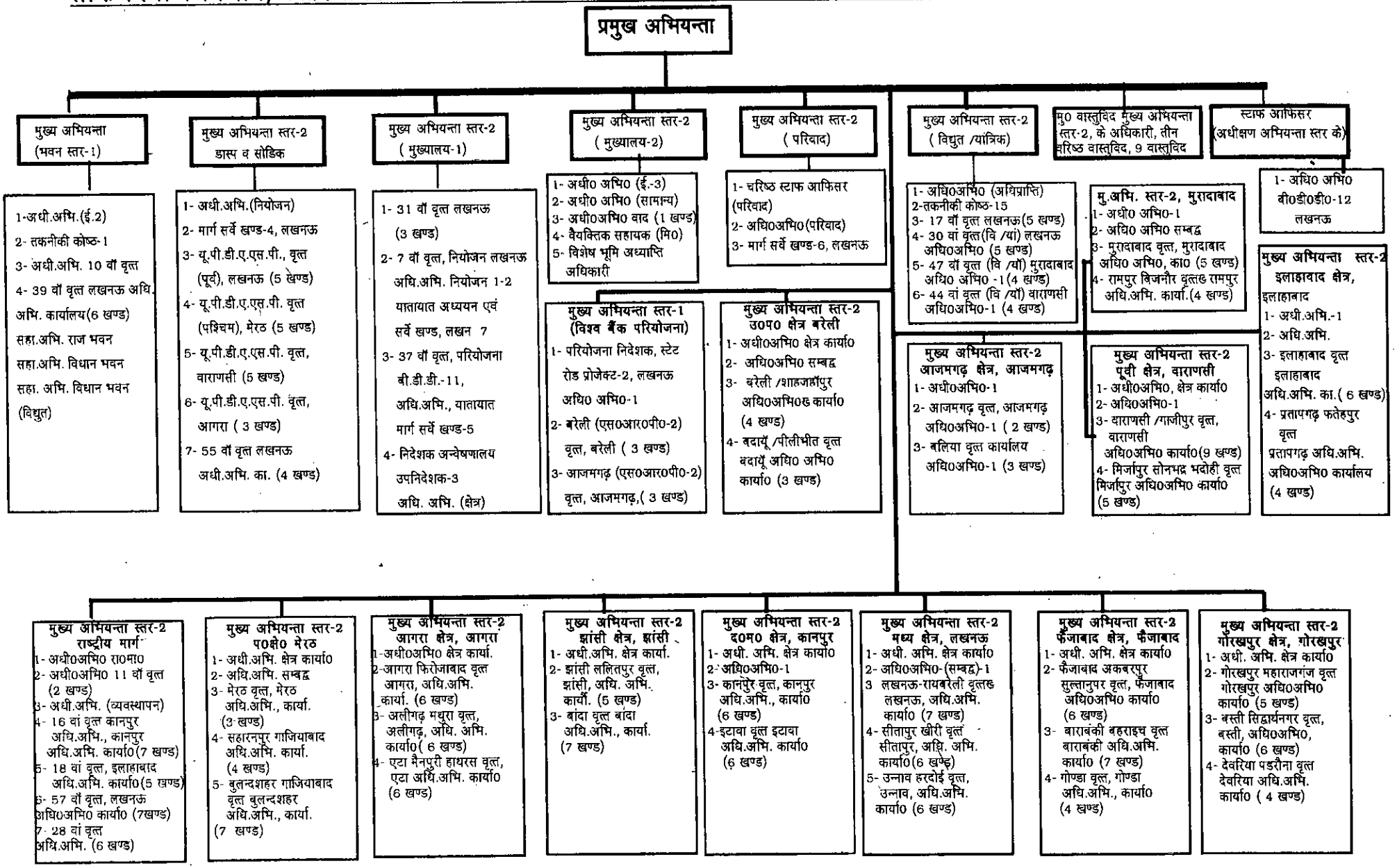

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०-2 सा० लोक निर्माण—1-8-2002—(965)—1200—(आफसेट) ।